रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2058] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939
No. 2058] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2017

का.आ. 2323(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित की जाती है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और, नागरहोल बाघ आरक्षिति (क्षेत्र =847.41 वर्ग किलोमीटर।) मैसूर (हुनसुर, पेरियापटना और एच.डी. कोटे तालुक) और कोडगू (वीरजपेट तालुक) जिले राज्य कर्नाटक में स्थित है और उत्तर अक्षांश 11^0 50' और 2^0 15' पूर्व देशांतर 76^0 00' और 76^0 15' के बीच स्थित है और इस क्षेत्र को पहली बार 1955 में नागरहोल वन्यजीव

अभयारण्य के रूप में गठित किया गया था और 285 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के एक क्षेत्र को समाविष्ट किया गया था और तत्पश्चात अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया गया और 643.39 वर्ग किलोमीटर 1983 में नगराहोल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था और वर्ष 2002 में, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को बंदीपुर बाघ आरक्षिति परिदृश्य के विस्तार के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसे तारीख 05-07-2002 में इसे केंद्र प्रायोजित स्कीम बाघ परियोजना के अधीन लाया गया था;

और, नागरहोल बाघ आरक्षिति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 वी के अनुसार तारीख 20 दिसंबर, 2007 को कोर/संकटापन्न बाघ आवास के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसके अतिरिक्त तारीख 14 अगस्त, 2012 को नागरहोल बाघ आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र के 562.41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है;

और, नागरहोल बाघ आरक्षिति का नीलगिरी जीवमंडल आरक्षिति (5500 वर्ग किलोमीटर) का भाग है और यह मैसूर हाथी आरक्षिति का अभिन्न भाग भी है और यह एशियाई हाथियों के बहुत अधिक घनत्व का समर्थन करता है जिसमें वयस्क टस्कर्स की संख्या काफी अधिक है जो इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है;

और, क्षेत्र में बांदीपुर बाघ आरक्षिति और केरल राज्य में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ यह देश के सबसे बड़े वन्यजीव आवास परिदृश्य में से एक है और बाघ अभयारण्य भी केरल में आरक्षित वनों के माध्यम से ब्राह्मिगरी वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है और यह पूरे परिदृश्य विश्व में बाघ रेंज देशों के बीच वन्य बाघों की स्वस्थ व्यवहार्य आबादी का घर है;

और, यह बाघ आरक्षिति महत्वपूर्ण बारहमासी धाराओं और कावेरी, लक्ष्मणतीर्थ और कबीनी नदियों की सहायक नदियों के क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र है और यह बाघ आरक्षिती जेनू कुरुबा, बेट्टा कुरुबा और यरव वन के अनुसूचित जनजाति का निवास स्थान है जो कि बाघ आरक्षिति के भीतर स्थित हैं और अभी तक, कुल 631 परिवारों को राष्ट्रीय उद्यान से भारत सरकार से वित्तीय सहायता के साथ अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है;

और, क्षेत्र में बहुत ही उच्च वनस्पतीय और जीवजन्तु विविधता है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ आरक्षितिके प्रमुख वनों को मोटे तौर पर दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इस प्रकार के वन केरल में पश्चिमी सीमा के साथ खंड़ में होते हैं। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों: इस प्रकार के वनों में हैटघाट, नलकेरी, अरीकेरी के आरक्षिती वन और कंकनकोट के दक्षिण पश्चिमी भाग और मेटिकुप्पे के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों: यह मेटिकुप्पे, वीरानाहोसाहल्ली, कच्छुनाहल्ली और कंकनकोट के कुछ भागों के आरक्षिती वनों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत कम है और पत्तियों की गिरावट और शुष्क घास की वजह से गर्मियों में वनों को गंभीर आग लग जाती है। सागौन अविकसित शैली में मौजूद है। बस्तियों के आसपास के क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनों की झाड़ियां है;

और, वनस्पतियों की प्रजातियों के अंतर्गत *शोरिया तालुरा, सांसल्यूम एल्बम (सैंडल), टर्मिनलिया चेबुला, अनोगेससस लैटिफ़ोलिया, अजादिराचल इंडिका, क्लोरोक्ज़िलोन स्वेएटेनिआ, अकाकिया ल्यूकोफ्लोएआ, अकाकिया कैटचु, स्टैरिओस्पर्मम चेलोनोइड्स, ज़िज़ीफस एसपी., डायस्पिरोज़ मेलनोक्सिलॉन, डाइस्पियोस मॉन्टाना,* आदि आते हैं। कुछ स्थानों पर बड़े क्षेत्रों में लांताना झाड़ियों का विकास और *फीनिक्स एपोलिस* को आच्छादित किया गया। *कैसिया तोरा, कैसिया ऑरिकुलता, डिस्मीडियम* आदि भी वृक्षारोपण करते हैं और बांस आम तौर पर अनुपस्थित होते हैं। *बबूल इनसटिया* सामान्य पर्वतारोही है और यहां घास आमतौर पर प्रचुर मात्रा में अविकसित होती है इस प्रकार के वनों में चंदन प्रचुर भाग में पाया जाता है;

और, नागरहोल बाघ आरक्षिति की विविध प्रजाति राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वनों से अपनी पारिस्थितिक विविधताओं के कारण राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भागों में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के कारण है और स्थानीय रूप से 'हेडलस' नामक अद्वितीय घास का दलदल ग्रीष्मकालीन शुष्क अवस्थाओं के माध्यम से

जड़ी-बूटियों के लिए चारा प्रदान करते हैं और बाघ आरक्षिती की ऊंचाई 700-960 मीटर के बीच है और 1000 मिमी से 1500 मिमी तक वर्षा के साथ एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है;

और, यह बाघ के संरक्षण के लिए भू-मंडलीय बाघ उपक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च घनत्व वाले बाघ परिदृश्यों में से एक है और यह सबसे बड़ी वन्यजीव क्षेत्रों में से एक है जहां सात बड़ी अगमजन्य प्रजातियों जैसे चीतल, सांभर, चौसिंगा, गौर, हिरण, बनैला सूअर और हाथी हैं;

और, अन्य सामान्यतः स्तनधारियों जिसमें स्ट्रिप-नेकड नेवला, ब्लैक-नेपड खरगोश और मालाबार बृहत गिलहरी सम्मिलित हैं और दुर्लभ रूप से देखे जाने वाले स्तनधारियों में पिसूरी, साही, उड़न गिलहरी शामिल हैं, जो सभी प्रकृति में रात के समय आते हैं और स्मूथ भारतीय ओटर, जंगली चित्तीदार बिल्ली (दुनिया में सबसे छोटी जंगली बिल्ली), जंगल बिल्ली, छोटे भारतीय गंध बिलाव, मालाबार विशालकाय गिलहरी भी बाघ आरक्षिति में निवास करते हैं और बाघ आरक्षिति में 330 से अधिक प्रजातियां पक्षी-जीवजन्तुओं की दर्ज की गई हैं और बाघ आरक्षिती में कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में मालाबार पेड धनेश, मालाबार ट्रोगोन, ग्रीन इंपीरियल कबूतर, मयूर, क्रेस्टेड सर्प चील, ऑस्प्रे, ग्रे जंगल फॉवल, वूली नेक्ड स्टॉर्क, किंग गिद्ध हैं और लोंग-बिल्ड और व्हाईट रमप्ले गिद्ध गंभीर लुप्तप्राय प्रजातियां है;

और, सरीसृप सूची में मार्श मगरमच्छ, भारतीय तालाब टेर्रापीन, मॉनीटर छिपकली, गिरगिट, स्पेक्साल्लेड कोबरा, रसेल वाइपर, कॉमन क्रेत, इंडियन रॉक पायथन और अन्य प्रजातियों में सांप, छिपकलियां और कछुए शामिल हैं;

अतः, अब, इसमें पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय, वन्यजीव, पुष्प, भौगोलिक या प्राणी संगम या महत्व के कारण, रक्षा, प्रचार करने या उसमें वन्यजीव विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में नागरहोल बाघ आरक्षित, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—**

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन नागरहोल बाघ आरक्षिति, कर्नाटक राज्य के मैसूर (हुनसूर, पेरियापाथा और एच.डी. कोट तालुक) और कोडागु (वीरजपत और सुमारपत तालुक) जिलों में स्थित है। यह उत्तर अक्षांश 11^0 50' और 12^0 25' और पूर्व देशांतर 75^0 56 'और 76^0 18' के बीच स्थित है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है और इसकी सीमा पर पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य स्थान का मानचित्र **उपाबंध II** में दिया गया है।

(ख) पारिस्थितिक-संवेदी जोन के 92 ग्रामों के पूर्ण/आंशिक क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के साथ 299.02 वर्ग किलोमीटर आच्छादित किया गया है और सूची **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है और नगरहोल पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित रिजर्व वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र 269.86 वर्ग किलोमीटर है और विवरण **उपाबंध-IV** में दिया गया है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 568.88 वर्ग किलोमीटर है।

(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा 1.0-7.44 किलोमीटर से भिन्न है। इसके अतिरिक्त उत्तरी सीमा पर स्थित आसपास के अधिसूचित रिजर्व वन क्षेत्रों के मामले में दूरी 22 किलोमीटर है।

(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में शामिल भूमि की विधिक प्रस्थिति में मुख्य रूप से राजस्व भूमि, पट्टा भूमि, रिजर्व वन क्षेत्र, सड़क आदि शामिल हैं।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन की सुरक्षा करने के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी तथा उसे बढावा देगी

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का बडे वाणिज्यिक या बडे आवासीय परिसर औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधियों के अधीन" सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के यथा लागू अन्य नियमों और विनियमों और इस अधिसूचना के उपबंधो द्वारा, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि सुसंगत राज्य विधियों और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनीकरण और प्राकृतिक वास संबंधी क्रियाकलापों को पुन: स्थापित करने के लिए अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** – आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदी/नाली की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना आंचलिक महायोजना में सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है होटल और रिर्सोट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। परंतु उक्त अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व अभ्यांकित तथा पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात किए जाएंगे;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कीसी नए होटल या रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापना का विनिमार्ण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना तथा आंचलिक महायोजना के भाग के रूप तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का संरक्षण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियत्रंण) नियम,2000 के अनुपालन में दिया जाएंगा।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के संरक्षण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन में किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषक तत्वों के निस्सारण के साधारण मानकों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट –** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343(अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:** —पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:**— (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या प्रकाशन के पश्चात में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:**—पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) यदि यह आवश्यक समझा जाता है, तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य और उपाय निर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.— पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उनमें किए गए संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश के अनुसार और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार होगा ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी नए या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण में हरित या श्वेत के रूप में वर्गीकृत उद्योग को जिनमें कृषि आधारित लघु उद्योग भी हैं, विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों, द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्य स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए अस्थायी लघु संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होगें । परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा एक किलोमीटर के पश्चात या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक है, जो भी निकट है वहाँ सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी, जैसे । परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) ये एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाल कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुज्ञात होंगे ।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन टी एफ पी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	अवसंरचना जिसके अंतर्गत नागरिक सुविधाएं भी है।	लागू, विधियों, नियमों और विनियम और उपलब्ध मार्गदर्शक सिदांतो के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू, विधियों, नियमों और विनियम और उपलब्ध मार्गदर्शक सिदांतो के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के उपर उडना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, जलकृषि, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के निस्सारण को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की प्रत्यार्वतन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति— (1) केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर - अध्यक्ष;

(ख) माननीय सदस्य विधान सभा, हुनसुर निर्वाचन क्षेत्र - सदस्य;

(ग) माननीय सदस्य विधान सभा, एच.डी.कोटे निर्वाचन क्षेत्र, एच.डी.कोटे - सदस्य;

(घ) माननीय सदस्य विधान सभा, पेरियापाथा निर्वाचन क्षेत्र, पेरियापाथा – सदस्य;

(ङ) माननीय सदस्य विधान सभा, विराजपथ निर्वाचन क्षेत्र, विराजपथ– सदस्य;

(च) पुलिस महानिरक्षक, दक्षिण रेंज, मैसूर - सदस्य;

(छ) वन्यजीव संरक्षण विभाग के एक प्रतिनिधि, कर्नाटक सरकार - सदस्य;

(ज) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;

(झ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य वन विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(ञ) प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;

(ट) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य- सदस्य;

(ठ) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विख्यात संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक में एक विशेषज्ञ- सदस्य;

(ड) उपायुक्त, मैसूर जिला और कोडागु जिला- सदस्य;

(ढ) पुलिस अधीक्षक, मैसूर - सदस्य;

(ण) पुलिस अधीक्षक, कोडागु - सदस्य;

(xii) वन संरक्षक/वन उपसंरक्षक या निदेशक पद के अधिकारी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान/ नागरहोल बाघ आरक्षिती, हुनसुर - सदस्य सचिव और मानीटरी समिति के संयोजक

6. निर्देश निबंधन.-

(1) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) ऐसे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में आत है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आते ह, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित यथाविनिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) ऐसे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची मे नहीं आते है किंतु पारिस्थिति संवेदी जोन के अंतर्गत आते है इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापों की वास्तविक विनिदिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित यथाविनिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाएगें।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/39/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

नागरहोल बाघ आरक्षिती के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर:

रेखा दुबरी राज्य वन और दोद्दाहरवे राज्य वन के जंक्शन बिन्दु से आरंभ होकर और दोद्दाहरवे राज्य वन की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ जाती है और दोद्दाहरवे, दुबरी और अनेचोवकुर राज्य वनों के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है। रेखा दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और अनेचोवकुर राज्य वन की पूर्वी सीमा से होते हुए फिर यह सीमा रेखा अबलाथी, मलंगी और अनेचोवकुर राज्य वन के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है। इसके बाद रेखा मलंगी के पश्चिमी और उत्तरी से होते हुए और मलंगी, चोकुर, इचान्नहल्ली और मुम्मादीकवल ग्राम के जंक्शन बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा मलंगी की पूर्वी सीमा पर दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है और मलंगी, चोकुर और उत्तेनाहल्ली के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है। इसके बाद रेखा उत्तेनाहल्ली और पंचवल्ली की उत्तरी सीमा से होते हुए और इत्तेगेहल्ली, पंचवल्ली और सथेगला के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है। इसके बाद रेखा पंचवल्ली की पूर्वी सीमा पर दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और पंचवल्ली ग्राम और कडेमनुगनाहल्ली ग्राम के जंक्शन बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा कडेमनुगनाहल्ली ग्राम की सीमा रेखा में दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर और कडेमनुगनाहल्ली ग्राम और एच बोरे कोपडाकवल के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है, इसके बाद रेखा कलाबुचनाहल्ली, शेताहल्ली और हनागोदु ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ जाती है फिर यह एच बोरे कोपडाकवल और हनागोदु ग्राम के दक्षिण पूर्व बिन्दु के जंक्शन बिन्दु पहुँचती है; इसके बाद रेखा हनागोदु ग्राम से होते हुए और हनागोदु ग्राम की पूर्वी सीमा को छूकर और हनागोदु ग्राम की उत्तर पूर्व दिशा में पूर्वी सीमा से होते हुए और हनागोदु, हेग्गानदुरु और किरणगुरु ग्राम के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा किरणगुरु ग्राम की पूर्वी सीमा और मदहल्ली और अरालली और पेंजाहल्ली कवल की उत्तरी सीमा के दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और कोटेगे कवल की पश्चिमी सीमा के बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा पेंजाहल्ली कवल की पूर्वी सीमा के दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर और पेंजाहल्ली कवल, कुरुबराहोसाहल्ली और वरांची के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा कुरुबराहोसाहल्ली की पूर्वी सीमा से जाकर और कुरुबराहोसाहल्ली, वरांची और एच.डी. कोटे तालुक सीमा के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है ।

पूर्व:

इसके बाद रेखा पेंजाहल्ली कवल के पूर्वी भाग से होते हुए और पेंजाहल्ली कवल और कुरुबराहोसाहल्ली ग्राम के गढ़ीबंध से मिलती है; इसके बाद रेखा कुरुबराहोसाहल्ली ग्राम की उत्तरी और पूर्वी सीमा से होते हुए और एच. डी. कोटे तालुक के भीमानाहल्ली ग्राम और हुंसुर तालुक के कुरुबराहोसाहल्ली ग्राम के जंक्शन बिन्दु से मिलती है; इसके बाद रेखा भीमानाहल्ली ग्राम के उत्तरी और पूर्वी सीमा से होते हुए और भीमानाहल्ली, येलेहुंदी कवल

और मुसकेरे की गढ़बंध से मिलती है; इसके बाद रेखा येलेहुंदी कवल की पूर्वी सीमा के दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है और एच. डी. कोटे तालुक के येलेहुंदी, पदुकोटे कवल और अन्नूर के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है; अन्नूर और नंजानायकानाहल्ली की पूर्वी सीमा से होते हुए और येदेथोरे, पदुकोटे कवल और नंजानायकानाहल्ली के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा नंजानायकानाहल्ली की पूर्वी सीमा के दक्षिणी दिशा में जाकर और नंजानायकानाहल्ली, भोधनूर और येदेथोरे के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा भोधनूर ग्राम की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ होते हुए और भोधनूर ग्राम और चक्कोदनाहल्ली ग्राम के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है; इसके बाद रेखा चक्कोदनाहल्ली ग्राम और सोनाल्ली ग्राम की गढ़ीबंध और चक्कोदनाहल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ जाती है; इसके बाद रेखा सोनाल्ली के पूर्वी सीमा के साथ जाती है और सोनाल्ली ग्राम और दसानापुरा ग्राम के गढ़ीबंध से मिलती है; इसके बाद रेखा दसानापुरा के पूर्वी सीमा से होते हुए और एच. डी. कोटे तालुक के दसानापुरा ग्राम और अक्कादेवानाहल्ली ग्राम की गढ़ीबंध से मिलती है; इसके बाद रेखा उसी दिशा में जाती है और अक्कादेवानाहल्ली ग्राम और नगनाहल्ली ग्राम के गढ़ीबंध से मिलती है; इसके बाद रेखा नगनाहल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा से होते हुए और नगनाहल्ली ग्राम और हिरीहल्ली ग्राम के जंक्शन बिंदु से मिलती है; इसके बाद रेखा हिरीहल्ली ग्राम की पूर्वी सीमा के दक्षिण दिशा में जाकर और हिरीहल्ली ग्राम और अनथरासन्थे ग्राम के जंक्शन बिन्दु से मिलती है; इसके बाद रेखा अनथरासन्थे ग्राम की उत्तर और पूर्वी भागों से होकर और अनथरासन्थे, नूरलाकूप्पे और अनथरासन्थे कवल के गढ़ीबंध को छूती है। इसके बाद रेखा अनथरासन्थे कवल की उत्तरी और पूर्वी सीमा से होते हुए और अनथरासन्थे कवल, मचेरे और नूरलाकूप्पे के त्रि-जंक्शन बिन्दु को छूती है । इसके बाद रेखा मचेरे की उत्तरी और पूर्वी सीमा से होते हुए और कबीनी नदी की सीमा को छूती है। इसके बाद रेखा होसाहोलालू और सोगेहल्ली की पूर्वी सीमा से होते हुए कबीनी नदी के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद रेखा सोगेहल्ली की दक्षिणी सीमा के पश्चिमी दिशा में जाती है और इसके बाद कबीनी नदी के साथ सोगेहल्ली की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा में जाती है। इसके बाद रेखा कबीनी नदी के साथ बदनेकुप्पे और पोन्नूकुप्पे की उत्तर पश्चिमी सीमा के उत्तरी दिशा में जाती है। इसके बाद रेखा पश्चिमी दिशा में जाकर रगताकुप्पे की उत्तर पूर्वी सीमा को छूती है। इसके बाद रेखा हल्लीमगे, एन. बेलाथुर और निसाना की पूर्वी सीमाओं से होते हुए कबीनी नदी के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है। इसके बाद रेखा कबीनी नदी के साथ निसाना की दक्षिणी सीमा के पश्चिमी दिशा में जाती है फिर यह गुन्दाथुर ग्राम की उत्तर पूर्वी सीमा से मिलती है।

दक्षिण:

इसके बाद रेखा उदबूर ग्राम, गुन्दाथुर ग्राम, मचुर हादी, गोलुर हादी, होसुर हादी, नेटकालहुन्डी, अनेमाला हादी, चिक्काबायराकुप्पे ग्राम, दोद्दाबायरानाकुप्पे ग्राम, थिम्मालाहोसाहल्ली हादी, वदाकीनामाला और कोदेगद्दे हादी की दक्षिणी सीमाओं से होते हुए कबीनी नदी के साथ पश्चिमी दिशा में जाकर और कर्नाटका के ककनकोटे राज्य वन और केरल राज्य के वयानंद वन्यजीव अभयारण्य की अंतराज्यीय गढ़ीबंध से मिलती है।

पश्चिम:

बिन्दु के ऊपर से रेखा दक्षिणी दिशा में कर्नाटक और केरल राज्य के बीच अंतराज्यीय सीमा के साथ पुन:, कायमारा के ऊपरी बिन्दु से होते हुए जहाँ बल्ले मुरकल अंतराज्यीय सीमा बिन्दु में नलकेरी आरक्षिती वन की दक्षिणी सीमा है; इसके बाद रेखा नलकेरी आरक्षिती वन की दक्षिणी सीमा से होते हुए और इसके बाद कुट्टा-मनानथावदी मुख्य सड़क से होते हुए कुट्टा ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है फिर यह रेखा बड़गा ग्राम की दक्षिणी सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है फिर यह नलकेरी ग्राम की दक्षिणी सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में जाकर फिर यह कोथूर ग्राम की दक्षिणी

सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व दिशा में जाकर फिर यह कनूर ग्राम की दक्षिणी सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर फिर यह नीत्तूर ग्राम की दक्षिण पश्चिमी सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में जाकर फिर यह देवनूर ग्राम की पूर्वी सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर फिर यह बलेले ग्राम की पूर्वी सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा नागरहोले बाघ आरक्षिती की पश्चिमी सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर फिर यह नोकया ग्राम की दक्षिण पूर्वी सीमा को छूती है; इसके बाद रेखा मौकल आरक्षिती वन की दक्षिणी सीमा पहुँचती है; इसके बाद रेखा देवमची, मलदरे, दुबरे राज्य वन की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु से मिलती है।

उपाबंध II

क. नागरहोले बाद्य आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

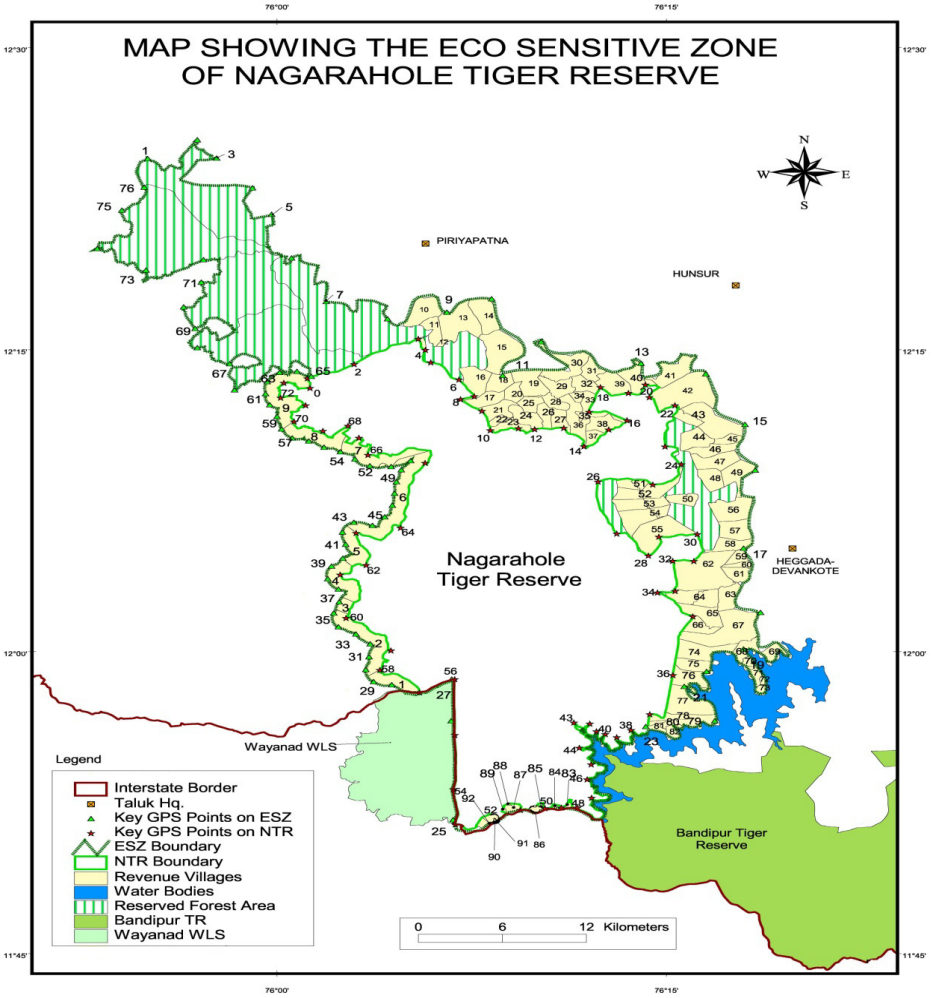

क. घ

ख. नागरहोले बाघ आरक्षिती की सीमा के पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य जीपीएस बिंदु का वर्णन

मानचित्र आईडी	देशांतर	अक्षांश
1	75.9164	12.4084
2	75.9483	12.4239
3	75.9607	12.4088
4	75.9838	12.3842
5	75.996	12.3623
6	76.0088	12.3261
7	76.031	12.2901
8	76.0704	12.2757
9	76.1086	12.2812
10	76.1373	12.2922
11	76.1444	12.2289
12	76.169	12.2567
13	76.2331	12.2389
14	76.2747	12.2301
15	76.2998	12.1882
16	76.3064	12.1505
17	76.299	12.0859
18	76.3098	12.0326
19	76.299	12.0024
20	76.2753	11.9838
21	76.2609	11.9713
22	76.2805	11.9429
23	76.2362	11.9381
24	76.1625	11.8705
25	76.1126	11.8611
26	76.1113	11.9429
27	76.1116	11.9774
28	76.0732	11.9728
29	76.0615	11.9753
30	76.0564	11.9854
31	76.0586	11.9959

मानचित्र आईडी	देशांतर	अक्षांश
32	76.0593	12.0066
33	76.0502	12.0148
34	76.0389	12.0207
35	76.0359	12.0322
36	76.0394	12.0413
37	76.0389	12.052
38	76.0321	12.0605
39	76.0345	12.0709
40	76.0418	12.0775
41	76.0435	12.089
42	76.0415	12.0991
43	76.0489	12.1072
44	76.0607	12.1046
45	76.0687	12.1117
46	76.0735	12.1213
47	76.0749	12.1313
48	76.0761	12.1409
49	76.0792	12.1507
50	76.0853	12.1583
51	76.0727	12.1533
52	76.0591	12.154
53	76.0495	12.1598
54	76.0402	12.1656
55	76.0298	12.1694
56	76.0199	12.1745
57	76.0093	12.177
58	76.0025	12.1845
59	75.9995	12.1949
60	75.9949	12.2045
61	75.9922	12.2137
62	75.9932	12.2237
63	76.0012	12.2314

मानचित्र आईडी	देशांतर	अक्षांश
64	76.0123	12.2322
65	76.0215	12.228
66	75.9723	12.2169
67	75.9691	12.2385
68	75.9484	12.2518
69	75.9469	12.2677
70	75.9396	12.2856
71	75.9509	12.3061
72	75.9524	12.3248
73	75.9154	12.316
74	75.8841	12.3339
75	75.8999	12.3657
76	75.9142	12.3847

ग. नागरहोले बाघ आरक्षिती की सीमा पर जीपीएस स्थान बिंदु

मानचित्र आईडी	देशांतर	अक्षांश
0	76.02064326	12.21850374
1	76.01897543	12.22644771
2	76.04899867	12.23830227
3	76.09020231	12.2592322
4	76.09477	12.25006826
5	76.09819921	12.23968059
6	76.1163402	12.22543588
7	76.12608948	12.21158996
8	76.11728808	12.20923876
9	76.13107197	12.19957323
10	76.13647189	12.18348177
11	76.15449028	12.18512675
12	76.16484707	12.18442171
13	76.18359108	12.18545409
14	76.19654659	12.17018151
15	76.21238225	12.18414819
16	76.224184	12.19179552

मानचित्र आईडी	देशांतर	अक्षांश
17	76.19984169	12.19870864
18	76.20707859	12.21908812
19	76.22510337	12.21441228
20	76.235975	12.22134548
21	76.23846621	12.21085361
22	76.25493724	12.20413752
23	76.2486356	12.17010837
24	76.25899766	12.15534098
25	76.24067759	12.13852323
26	76.20557452	12.14094899
27	76.21761097	12.09796459
28	76.23791188	12.07973956
29	76.24463324	12.09532981
30	76.26927199	12.09747967
31	76.26710679	12.07526986
32	76.25344211	12.0753661
33	76.25510952	12.05040717
34	76.24362045	12.0491802
35	76.26640063	12.02932411
36	76.25358809	11.9807237
37	76.23880613	11.94832008
38	76.22681047	11.93537564
39	76.21760541	11.9293599
40	76.21015438	11.93200444
41	76.20456586	11.9342424
42	76.20021623	11.9405561
43	76.19007563	11.94156838
44	76.19360752	11.92058405
45	76.20116892	11.90683542
46	76.19859047	11.89450669
47	76.20149678	11.87922691
48	76.19239902	11.871071

मानचित्र आईडी	देशांतर	अक्षांश
49	76.18205473	11.87116601
50	76.17150407	11.87054735
51	76.1556785	11.86921112
52	76.13923707	11.86247401
53	76.1140029	11.85725614
54	76.11273399	11.88618797
55	76.11362208	11.93111633
56	76.11357759	11.97746996
57	76.09092641	11.96644533
58	76.065553	11.98506175
59	76.07267557	12.00116586
60	76.04387193	12.02813019
61	76.04010142	12.06398565
62	76.05675817	12.07184955
63	76.05030784	12.09853327
64	76.07877368	12.10274195
65	76.09455762	12.15654822
66	76.05789264	12.16313043
67	76.05207652	12.1772842
68	76.04512572	12.18725963
69	76.02897542	12.18296115
70	76.01042721	12.19078154
71	76.01786599	12.20413671
72	76.0018037	12.21053345
73	76.00396169	12.22276116

उपाबंध-III

नागरहोले बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले निकटवर्ती ग्रामों की सूची

क. कोडागु जिला

विराजपेट तालुक

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
1	कुट्टा	374.634	नागरहोले बाघ आरक्षिती की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर
2	बादगा	783.008	

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
3	नलकेरी	118.851	
4	कोथूर	497.838	
5	कनूर	407.544	
6	नीत्तूर	1156.39	
7	देवनूर	878.126	
8	बलेले	893.01	
9	नोकया	1009.087	
	कुल	**6118.488**	

ख. मैसूर जिला

i पेरियापटना तालुक

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
10	मलंगी	443.02	संपूर्ण ग्राम
11	अलालुर	274.91	आंशिक ग्राम
12	मुद्दानाहल्ली	24.00	आंशिक ग्राम
13	उथेनाहल्ली	700.96	आंशिक ग्राम
14	पंचावल्ली	455.21	संपूर्ण ग्राम
	कुल	**1898.10**	

ii **हनसूर तालूक**

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
15	कादेमनुगनहल्ली	762.96	आंशिक ग्राम
16	उदुवेपुर	422.92	आंशिक ग्राम
17	नरालाकुप्पे	260.42	संपूर्ण ग्राम
18	कल्लाबोचहल्ली	258.48	संपूर्ण ग्राम
19	सेट्टीहल्ली	427.70	संपूर्ण ग्राम
20	कचुवीनाहल्ली	178.35	संपूर्ण ग्राम
21	हब्बनाकुप्पे	272.34	संपूर्ण ग्राम
22	बील्लानाहोसाहल्ली	83.86	संपूर्ण ग्राम
23	कूनानाहोसाहल्ली	181.47	संपूर्ण ग्राम
24	कोलावीज	302.34	संपूर्ण ग्राम
25	नेगाथूर	189.46	संपूर्ण ग्राम
26	मूदूगनूर	180.42	संपूर्ण ग्राम
27	चीक्का हेजजुर	202.95	संपूर्ण ग्राम

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
28	सीदेनाहल्ली	177.71	संपूर्ण ग्राम
29	अबबूर	289.32	संपूर्ण ग्राम
30	हानागोदू	514.94	संपूर्ण ग्राम
31	कीरनगूर	217.35	संपूर्ण ग्राम
32	हीदगोदलू	221.09	संपूर्ण ग्राम
33	दसनापुर	253.83	संपूर्ण ग्राम
34	दोदहेजुर कवल	53.64	संपूर्ण ग्राम
35	दोद्दाहेजुर केरेकवल	46.59	संपूर्ण ग्राम
36	दोद्दा हेजजुर	402.19	संपूर्ण ग्राम
37	वीरानाहोसे हल्ली	129.69	संपूर्ण ग्राम
38	भारतवादी	274.47	संपूर्ण ग्राम
39	मादाहल्ली	367.55	संपूर्ण ग्राम
40	हरलाहल्ली	312.84	संपूर्ण ग्राम
41	पेनजहल्ली कवल	464.88	संपूर्ण ग्राम
42	कुरूबरा होसाहल्ली	1084.26	संपूर्ण ग्राम
	कुल	**8534.02**	

iii. हेग्गादादेवनकोटे तालुक

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
43	भीमनाहल्ली	842.56	संपूर्ण ग्राम
44	राजगोवदानहुनदी	331.95	संपूर्ण ग्राम
45	येलेहुंदी कवल	131.54	संपूर्ण ग्राम
46	सोमगोवदानाहुनदी	279.72	संपूर्ण ग्राम
47	अन्नूर	392.65	संपूर्ण ग्राम
48	होसाहल्ली	282.94	संपूर्ण ग्राम
49	नानजनाकनाहल्ली	376.94	संपूर्ण ग्राम
50	बोम्मालापुर	192.45	संपूर्ण ग्राम
51	गौवदीमचनाइकनहल्ली	174.55	संपूर्ण ग्राम
52	सोल्लेपुर	464.48	संपूर्ण ग्राम
53	सिद्दापुर	353.22	संपूर्ण ग्राम
54	अगसनहुनदी	479.52	संपूर्ण ग्राम
55	मेतीकुप्पे	761.56	संपूर्ण ग्राम
56	बुदानूर	512.25	संपूर्ण ग्राम

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
57	चाक्कोदानहल्ली	359.71	संपूर्ण ग्राम
58	सोनाहल्ली	265.14	संपूर्ण ग्राम
59	दासनपुर	134.51	संपूर्ण ग्राम
60	अक्कादेवनहल्ली	85.94	संपूर्ण ग्राम
61	नगनाहल्ली	210.48	संपूर्ण ग्राम
62	हीरीहल्ली	1150.90	संपूर्ण ग्राम
63	मचोनाकनाहल्ली	297.14	संपूर्ण ग्राम
64	पेनजाहल्ली/ कोथनाहल्ली	465.44	संपूर्ण ग्राम
65	सतगनुनदी	368.14	संपूर्ण ग्राम
66	हुनसोकुप्पे	231.08	संपूर्ण ग्राम
67	अथरोसथे	1019.67	संपूर्ण ग्राम
68	अथरोसथे कवल	220.85	संपूर्ण ग्राम
69	मचेरा	158.19	संपूर्ण ग्राम
70	होन्नूरकुप्पे	86.28	संपूर्ण ग्राम
71	बादानकुप्पे	87.88	संपूर्ण ग्राम
72	होसाहोलालु	31.91	संपूर्ण ग्राम
73	सोगेहल्ली	53.54	संपूर्ण ग्राम
74	मनचागोवदाराहल्ली	474.17	संपूर्ण ग्राम
75	रागथकुप्पे	251.63	संपूर्ण ग्राम
76	हेलेमग्गे	332.73	संपूर्ण ग्राम
77	न.बेलाथुर	653.63	संपूर्ण ग्राम
78	नीसाना	264.08	संपूर्ण ग्राम
79	कारापुर	101.57	संपूर्ण ग्राम
80	हुलुलीपुर	58.38	संपूर्ण ग्राम
81	उदूर	65.13	संपूर्ण ग्राम
82	गुनदाथुर	104.22	संपूर्ण ग्राम
83	मचुर	25.75	संपूर्ण ग्राम
84	गोलुर	14.61	संपूर्ण ग्राम
85	होसुर	26.40	संपूर्ण ग्राम
86	नेटकलहुन्दी	2.07	संपूर्ण ग्राम
87	अनमाला	70.91	संपूर्ण ग्राम
88	चिक्काबरानाकुपपे	4.92	संपूर्ण ग्राम

मानचित्र आई.डी	ग्राम	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
89	दोद्दाबायरानाकुप्पे	10.40	संपूर्ण ग्राम
90	थीम्मनाहोसाल्ली	30.95	संपूर्ण ग्राम
91	वादाकीनामाला	8.38	संपूर्ण ग्राम
92	कदेगद्दे	48.37	संपूर्ण ग्राम
	कुल	**13351.43**	

- इन ग्रामों में भूमि उपयोग पैटर्न मुख्यत: कृषि और बागवानी फसलों के अंतर्गत मुख्यत: मानव और मवेशी आवास इकाईयां, स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, सड़कों, पट्टा भूमियों, कृषि योग्य भूमियों के लिए है।

उपाबंध - IV

नागरहोले बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले निकटवर्ती आरक्षिती वन क्षेत्रों की सूची

क्र.सं	जिला	वन का नाम	प्रशासनिक नियंत्रण	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर	जी ओ न. और दिनांक
अधिसूचित बफर जोन का हिस्सा					
1.	मैसूर	दोद्दाहाराव राज्य वन	हुनसुर वन प्रभाग	36.07	390-एफ टी-145-95. दिनांक 22-12-1900
2.	मैसूर	अनचौकुर अनचान राज्य वन	हुनसुर वन प्रभाग	36.76	1173-एफ टी-145-95. दिनांक 04-08-1900
3.	मैसूर	मुद्दानाहल्ली राज्य वन	हुनसुर वन प्रभाग	16.81	ए एफ-6310-एफ टी-62-403. दिनांक 28-02-1941
4.	मैसूर	सोल्लापुर राज्य वन	मैसूर वन प्रभाग	49.97	ए एफ सं.2661.एफ टी.192.415. दिनांक 12-11-1942
5.	मैसूर	सीद्दापुर राज्य वन	मैसूर वन प्रभाग	14.50	जी.691.5.एफ टी.359.28.2. दिनांक 16-07-1929
6.	कोदागु	मुकाल आरक्षित वन	विराजपत वन प्रभाग	33.08	सं. 58. दिनांक 02-11-1891
7.	कोदागु	देवमाची आरक्षित वन	विराजपत वन प्रभाग	36.96	सं. 65. दिनांक 02-11-1891
			कुल	**224.15**	
निकटवर्ती वन क्षेत्र					
1	कोदागु	मालदेरा बाघ आरक्षित	मदेकेरी वन प्रभाग	45.71	सं 55 दिनांक 03-12-1891
			कुल योग	**269.86**	

उपाबंध-V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति — की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2017

S.O. 2323(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Nagarahole Tiger Reserve (area = 847.41 sq. km.) is situated in Mysore (Hunsur, Periyapatna and H.D.Kote taluks) and Kodagu (Virajpet taluk) districts of the State Karnataka and lies between North Latitudes 11' 50' and 12' 15' and between the East Longitudes 76' 00' and 76' 15' and the area was first constituted as Nagarahole Wildlife Sanctuary in the year 1955 and covered an area of 285 Square kilometers and subsequently, additional areas were included and final notification for an area of 643.39 Square kilometers was issued in the year 1983 notifying the same as the Nagarahole National Park and in the year 2002, the National Park area was notified as an extension of the Bandipur Tiger Reserve landscape bringing it under the Centrally Sponsored Scheme Project Tiger dated: 05-07-2002;

AND WHEREAS, Nagarahole Tiger Reserve is also notified as Core/Critical Tiger habitat on dated the 20th December, 2007 as per section 38 V of the Wildlife (Protection) Act, 1972 and further, an area of 562.41 square kilo meters has been notified as Buffer Zone of the Nagarahole Tiger Reserve on dated the 14th August, 2012.

AND WHEREAS, Nagarahole Tiger Reserve forms part of the Nilgiri Biosphere Reserve (~5500 square kilo meters) and is also an integral part of the Mysore Elephant Reserve and it supports very high density of Asian Elephants with significantly higher number of adult tuskers signifying its ecological importance;

AND WHEREAS, the area is contiguous with Bandipur Tiger Reserve and Wayanad Wildlife Sanctuary in the State of Kerala making it one of the largest Wildlife habitat landscape in the country and the Tiger Reserve is also linked to Bramhagiri Wildlife Sanctuary through Reserve Forests in Kerala and this entire landscape is home to a healthy viable population of Wild Tigers amongst the Tiger Range countries in the World;

AND WHEREAS, this Tiger Reserve is also catchment of important perennial streams and tributaries of the Kaveri, Lakshmanathirtha and Kabini Rivers and the Tiger Reserve is home to Jenu Kuruba, Betta Kuruba and Yerava forest dwelling Scheduled Tribes who live in hamlets within the Tiger Reserve and so far, a total of 631 families have been relocated from the National Park to other areas with financial assistance from Government of India;

AND WHEREAS, the area has a very high Floral and Faunal diversity and the major forests of Nagarahole National Park and Tiger Reserve can broadly be classified into *Southern Tropical Semi-evergreen forests*: This type of forest occurs in patches along the Western boundary with Kerala. *Southern Tropical Moist deciduous forests*: This type of forests are found in the Reserve Forests of Hatghat, Nalkeri, Arikeri and South Western parts of Kakankote and Western part of Metikuppe and *Southern Tropical Dry deciduous forests*: This is confined to the Reserve Forests of Metikuppe, Veeranahosahalli, Kachuvanahalli, and parts of Kakanakote. Rainfall in this region is comparatively low and the forests have been subjected to severe fires during summer due to leaf fall and dry grass. Teak is present in stunted form. The dry deciduous forests have degraded into scrub in the vicinity of settlements;

AND WHEREAS, the vegetation comprises of species of *Shorea talura, Santalum album(Sandal), Terminalia chebula, Anogeissus latifolia, Azadirachta indica, Chloroxylon swietenia, Acacia leucophloea, Acacia catechu, Stereospermum chelonoides, Zizyphus sps., Diospyros melnoxylon, Diospyros montana,* etc. Lantana bushes cover large areas as under growth and *Phoenix acaulis* at some places. *cassia tora, Cassia auriculata, Desmodium* etc., also form the undergrowth and bamboos are generally absent. *Acacia intsia* is the common climber and grass is generally abundant but is stunted. Sandal occurs profusely in this type of forests;

AND WHEREAS, the diverse fauna of Nagarahole Tiger Reserve is due to its ecological variations from dry deciduous forests in the eastern regions of the National Park to tropical moist deciduous forests in the western parts of the National Park and the unique grassy swamps locally called 'Hadlus' provide forage for herbivores right through the dry periods of Summer and the elevation of the Tiger Reserve varies from 700-960 m. and has a tropical climate with rainfall ranging from 1000 mm. to 1500 mm.

AND WHEREAS, it is one of the high density tiger landscapes recognised by the Global Tiger Initiative for conservation of Tiger and also is one of the richest Wildlife areas noted for the intact assemblage of seven large Ungulate species such as Chital, Sambar, Chowsingha, Gaur, Muntjac, Wild Pig and Elephant;

AND WHEREAS, other commonly encountered mammals include Striped-Necked Mongoose, Black-Naped Hare and Malabar Giant Squirrel and the rarely seen mammals include the Mouse deer, Porcupine, Flying squirrel all of which are nocturnal in nature and the smooth Indian Otter, Rusty Spotted Cat (smallest wild cat in the world), Jungle Cat, Small Indian Civet, Malabar Giant Squirrel also inhabit the Tiger Reserve and over 330 species of avifauna are recorded in the Tiger Reserve and some of the important bird species of the Tiger Reserve includes Malabar Pied Hornbill, Malabar Trogon, Green Imperial Pigeon, Peafowl, Crested Serpent Eagle, Osprey, Grey Jungle Fowl, Wooly Necked Stork, King Vulture and the critically endangered Long-billed and White-Rumped Vultures;

AND WHEREAS, the reptilian list includes the Marsh Crocodile, Indian Pond Terrapin, Monitor lizard, Chameleon, Spectacled Cobra, Russel's Viper, Common Krait, Indian Rock Python and a host of other snakes, lizards and turtles species.

NOW THEREFORE, by reason of ecological, environmental, faunal, floral, geographical or zoological association or importance, for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife therein or its environment, the Central Government, in exercise of the powers conferred under by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) and as per sub-rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, hereby notifies the area, the situation and limits of which are specified in the Annexure to this notification as the **"Eco Sensitive Zone"** of the **Nagarahole Tiger Reserve** (hereinafter referred to as the Eco Sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.—

(a) The Eco-sensitive Zone of Nagarahole Tiger Reserve is situated in Mysore (Hunsur, Periyapatna and H.D. Kote taluks) and Kodagu (Virajpet and Sowmarpet taluks) districts of Karnataka State and it lies between the North Latitudes 11^0 50' and 12^0 25' and between the East Longitudes 75^0 56' and 76^0 18' and the boundary description of the said Eco-sensitive Zone is given at **Annexure - I** and the map of the Eco-sensitive Zone with Key locations on its boundary is given at **Annexure - II**.

(b) The Eco-sensitive Zone covers the entire/partial area of Ninety Two villages with a geographical area of 299.02 square kilo meters and list appended as **Annexure – III** and the notified Reserve Forest Areas brought under the Nagarahole Eco-Sensitive Zone has a geographical area of 269.86 square kilo meters and details are given in **Annexure – IV** and the total geographical area of the Eco-sensitive Zone is 568.88 square kilometers.

(c) The range of extent of the Eco-sensitive Zone varies from 1.0 – 7.44 Kms. and further the distance is 22 kilo meters in the case of adjoining notified Reserve forest areas situated on the Northern boundary.

(d) The legal status of the lands included in the Eco-sensitive Zone mainly consists of Revenue lands, Patta lands, Reserve forest areas, Roads etc.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.—

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.— The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-tourism.—**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and, beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.—Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.—Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and

Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b)No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.—Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b)No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.—The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.—The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.—Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.

12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:—

(a) The Regional Commissioner, Mysore – Chairman;
(b) The Member of Legislative Assembly, Hunsur Constituency, Hunsur – Member;
(c) The Member of Legislative Assembly, H.D.Kote Constituency, H.D. Kote – Member;
(d) The Member of Legislative Assembly, Periyapatna Constituency, Periyapatna – Member;
(e) The Member of Legislative Assembly, Virajpet Constituency, Virajpet – Member;
(f) The Inspector General of Police, South Range, Mysore – Member;
(g) A representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
(h) A representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member;
(i) A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Karnataka State Forest Department – Member;
(j) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board – Member;
(k) Member of State Biodiversity Board – Member;
(l) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka – Member;
(m) The Deputy Commissioner, Mysore District and Kodagu District – Members;
(n) The Superintendent of Police, Mysore – Member;
(o) The Superintendent of Police, Kodagu – Member;
(p) The Conservator of Forests/Deputy Conservator of Forests or the officer holding the post of Director, Rajiv Gandhi National Park/Nagarahole Tiger Reserve, Hunsur–Member Secretary and convener of the monitoring committee.

6. Terms of Reference.—

(1) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be

scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro- forma given at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/39/2016-ESZ]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE - I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NAGARAHOLE TIGER RESERVE

NORTH:

The line starts from the junction point of Dubare State Forest and Doddaharave State Forest and runs all along the Northern and Eastern boundary of Doddaharave State Forest and touches the tri-junction point of Doddaharve, Dubare and Anechowkur State Forests. The line runs in South Eastern direction and passes all along the Eastern boundary of Anechowkur State Forest till the boundary line touches the tri-junction point of Abalathi, Malangi and Anechowkur State Forest. Then the line runs on the Western and Northern boundary of Malangi and touches the junction point of Malangi, Chowkur, Ichannahalli and Mummadikaval village; then the line runs in the South East direction on the Eastern boundary of Malangi and touches the tri-junction point of Malangi, Chowkur and Uttenahalli. Then the line passes along the Northern boundary of the Uttenahalli and Panchavalli and touches the tri-junction point of Ittegehalli, Panchavalli and Sathegala. Then the line runs in South East direction on the Eastern boundary of Panchavalli and touches the junction bandh of Panchavalli village and Kademanuganahalli village; then line runs in the south east direction and south west direction in boundary line of Kademanuganahalli village and meets the tri junction of bandh of Kademanuganahalli village and H.Borekoppada kaval, then the line passes along the northern boundary of Kallabuchanahalli, Shettahalli and Hanagodu villages till it reaches the junction point of South East point of H.Borekoppada kaval and Hanagodu village; then the line passes through the Hanagodu village and touches the Eastern boundary of Hanagodu village and runs along the Eastern boundary in North East direction of Hanagodu village and touches the tri-junction point of Hanagodu, Heggandur and Kiranguru village; then the line runs in South East direction on the Eastern boundary of Kiranguru village and Northern boundary of Madahalli and Aralali and Penjahalli kaval and touches a point on the Western boundary of Kotege kaval; then the line runs in the South East direction on the Eastern boundary of Penjahalli Kaval and touches the tri-junction point of Penjahalli Kaval, Kurubarahosahalli and Waranchi; then the line runs on the Eastern boundary of Kurubarahosahalli and touches the tri-junction point of Kurubarahosahalli, Waranchi and H.D. Kote Taluk boundary.

EAST:

Then the line passes on Eastern side of Penjahalli Kaval and meets the gadi bandh of Penjahalli Kaval and Kurubarahosalli village; then the line passes all along the Northern and Eastern boundary of Kurubarahosalli village and meets junction bandh of Kurubarahosalli village of Hunsur Taluk and Bheemanahalli village of H.D. Kote Taluk; then the line passes all along Northern and Eastern boundary of Bheemanahalli village and meets gadi bandh of

Bheemanahalli, Yelehundi Kaval and Muskere; then the line runs in South West direction on the Eastern boundary of Yelehundi Kaval and touches the tri-junction point of Yelehundi, Padukote Kaval and Annur of H.D. Kote Taluk; then the line runs on the Eastern boundary of Annur and Nanjanayakanahalli and touches the tri-junction point of Yedethore, Padukote Kaval and Nanjanayakanahalli; then the line runs in Southern direction on the Eastern boundary of Nanjanayakanahalli and touches the tri-junction point of Nanjanayakanahalli, Bhoodhanur and Yedethore; then the line passes all along Northern and Eastern boundary of Bhoodhanur village and touches the junction bandh of Bhoodhanur village and Chakkodanahalli village; then the line runs all along the Eastern boundary of Chakkodanahalli and the gadi bandh of Chakkodanahalli village and Sonalli village; then the line runs all along Eastern boundary of Sonalli and meets the gadi bandh of Sonalli village and Dasanapura village; then the line passes all along the Eastern boundary of Dasanapura and meets the gadi bandh of Dasanapura village and Akkadevanahalli village of H.D. Kote taluk; then the line runs in the same direction and meets the gadi bandh of Akkadevanahalli village and Naganahalli village; then the line runs on the Eastern boundary of Naganahalli village and meets the junction bandh of Naganahalli village and Hirihalli village; then the line runs in South direction on Eastern boundary of Hirihalli village and meets the junction bandh of Hirihalli village and Antharasanthe village; then the line runs all along the North and Eastern sides of Antharasanthe village and touches the gadi bandh of Antharasanthe, Nooralakuppe and Antharasanthe Kaval. Then the line runs on the Northern and Eastern boundary of Antharasanthe Kaval and touches the tri-junction point of Antharasanthe Kaval, Machare and Nooralakuppe. Then the line runs on the Northern and Eastern boundary of Machare and touches the boundary of Kabini River. Then the line runs in the Southern direction all along Kabini River passing through the Eastern boundary of Hosaholalu and Sogehalli. Then the line runs in the western direction on the southern boundary of Sogehalli and then in the northern direction on the Western boundary of Sogehalli along the Kabini River. Then the line runs in the Northern direction on the North Western boundary of Badanekuppe and Honnurkuppe along the Kabini river. Then the line runs in the Western direction till it touches the North Eastern boundary of Ragatakuppe. Then the line runs in the Southern direction along the Kabini river passing through the Eastern boundaries of Halemagge, N. Belathur and Nisana. The line then runs in the Western direction on the southern boundary of Nisana along the Kabini river till it meets the North Eastern boundary of Gundathur village.

SOUTH:

Then the line runs in the Western direction all along Kabini river passing through the Southern boundaries of Udboor village, Gundathur village, Machur hadi, Golur hadi, Hosur hadi, Netkalhundi, Anemala hadi, Chikkabyranakuppe village, Doddabyranakuppe village, Thimmanahosahally hadi, Vadakinamala & Kadegadde hadi and meets the interstate gadi bandh of Kakanakote State Forest of Karnataka and Wyanad Wildlife Sanctuary of Kerala State.

WEST:

From the above point the line continues along the inter-state boundary between Karnataka and Kerala States in Northern direction, passes through Kymara up to the point where the Southern boundary of Nalkeri Reserve Forest at Balle Murkal inter-state boundary point; then the line runs all along the Southern boundary of Nalkeri Reserve Forest and then up to 1 Km. distance from the western boundary of Nagarahole Tiger Reserve along southern boundary of Kutta village passing through Kutta-Mananthavadi Main Road; then the line runs in North West direction and North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till the line till the line touches the Southern boundary of Badaga village; then the line runs in North East and North West direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Southern boundary of Nalkeri village; then the line runs in the North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Southern boundary of Kothur village; then the line runs in the North West and North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Southern boundary of Kanur village; then the line runs in the North West direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the South Western boundary of Nittur village; then the line runs in North East direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Eastern boundary of Devanur village; then the line runs North West direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the Eastern boundary of Balele village; then the line runs in North West Direction at a distance of 1 Km. from the Western boundary of Nagarahole Tiger Reserve till it touches the South Eastern boundary of Nokya village; then the line runs till it reaches the Southern boundary of Maukal Reserve Forest; then the line runs all along the Western boundary of Devamachi, Maldare, Dubare State Forest and meets the starting point.

ANNEXURE – II

A. MAP SHOWING THE ECO SENSITIVE ZONE OF NAGARAHOLE TIGER RESERVE

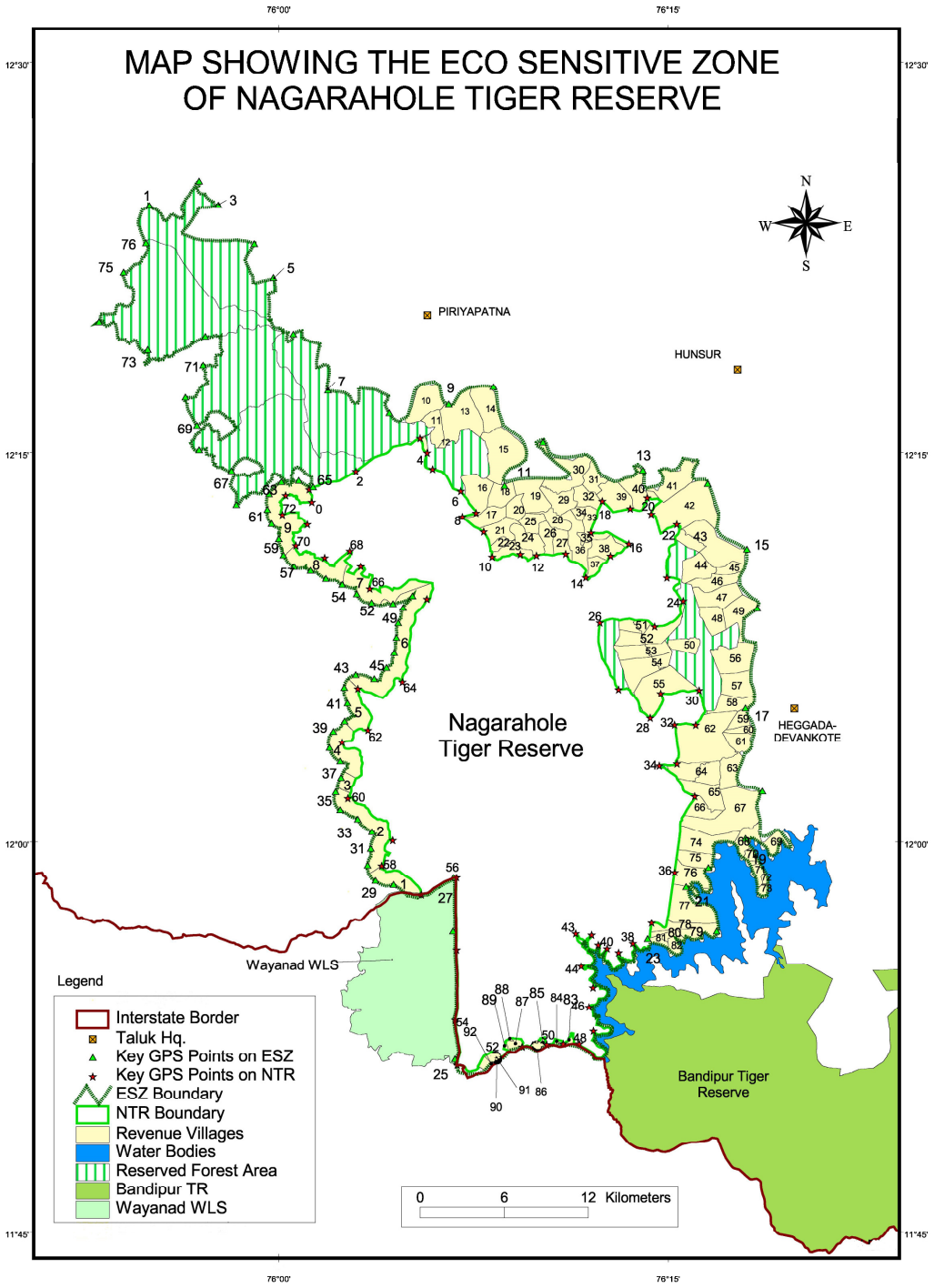

B. KEY GPS LOCATION POINTS ON THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF THE NAGARAHOLE TIGER RESERVE

MAP ID	Longitude	Latitude
1	75.9164	12.4084
2	75.9483	12.4239
3	75.9607	12.4088
4	75.9838	12.3842
5	75.996	12.3623
6	76.0088	12.3261
7	76.031	12.2901
8	76.0704	12.2757
9	76.1086	12.2812
10	76.1373	12.2922
11	76.1444	12.2289
12	76.169	12.2567
13	76.2331	12.2389
14	76.2747	12.2301
15	76.2998	12.1882
16	76.3064	12.1505
17	76.299	12.0859
18	76.3098	12.0326
19	76.299	12.0024
20	76.2753	11.9838
21	76.2609	11.9713
22	76.2805	11.9429
23	76.2362	11.9381
24	76.1625	11.8705
25	76.1126	11.8611
26	76.1113	11.9429
27	76.1116	11.9774
28	76.0732	11.9728
29	76.0615	11.9753
30	76.0564	11.9854
31	76.0586	11.9959
32	76.0593	12.0066
33	76.0502	12.0148
34	76.0389	12.0207
35	76.0359	12.0322
36	76.0394	12.0413
37	76.0389	12.052
38	76.0321	12.0605
39	76.0345	12.0709

MAP ID	Longitude	Latitude
40	76.0418	12.0775
41	76.0435	12.089
42	76.0415	12.0991
43	76.0489	12.1072
44	76.0607	12.1046
45	76.0687	12.1117
46	76.0735	12.1213
47	76.0749	12.1313
48	76.0761	12.1409
49	76.0792	12.1507
50	76.0853	12.1583
51	76.0727	12.1533
52	76.0591	12.154
53	76.0495	12.1598
54	76.0402	12.1656
55	76.0298	12.1694
56	76.0199	12.1745
57	76.0093	12.177
58	76.0025	12.1845
59	75.9995	12.1949
60	75.9949	12.2045
61	75.9922	12.2137
62	75.9932	12.2237
63	76.0012	12.2314
64	76.0123	12.2322
65	76.0215	12.228
66	75.9723	12.2169
67	75.9691	12.2385
68	75.9484	12.2518
69	75.9469	12.2677
70	75.9396	12.2856
71	75.9509	12.3061
72	75.9524	12.3248
73	75.9154	12.316
74	75.8841	12.3339
75	75.8999	12.3657
76	75.9142	12.3847

C. GPS LOCATION POINTS ON THE BOUNDARY OF THE NAGARAHOLE TIGER RESERVE

MAP ID	Longitude	Latitude
0	76.02064326	12.21850374
1	76.01897543	12.22644771

MAP ID	Longitude	Latitude
2	76.04899867	12.23830227
3	76.09020231	12.2592322
4	76.09477	12.25006826
5	76.09819921	12.23968059
6	76.1163402	12.22543588
7	76.12608948	12.21158996
8	76.11728808	12.20923876
9	76.13107197	12.19957323
10	76.13647189	12.18348177
11	76.15449028	12.18512675
12	76.16484707	12.18442171
13	76.18359108	12.18545409
14	76.19654659	12.17018151
15	76.21238225	12.18414819
16	76.224184	12.19179552
17	76.19984169	12.19870864
18	76.20707859	12.21908812
19	76.22510337	12.21441228
20	76.235975	12.22134548
21	76.23846621	12.21085361
22	76.25493724	12.20413752
23	76.2486356	12.17010837
24	76.25899766	12.15534098
25	76.24067759	12.13852323
26	76.20557452	12.14094899
27	76.21761097	12.09796459
28	76.23791188	12.07973956
29	76.24463324	12.09532981
30	76.26927199	12.09747967
31	76.26710679	12.07526986
32	76.25344211	12.0753661
33	76.25510952	12.05040717
34	76.24362045	12.0491802
35	76.26640063	12.02932411
36	76.25358809	11.9807237
37	76.23880613	11.94832008
38	76.22681047	11.93537564
39	76.21760541	11.9293599
40	76.21015438	11.93200444
41	76.20456586	11.9342424
42	76.20021623	11.9405561
43	76.19007563	11.94156838
44	76.19360752	11.92058405

MAP ID	Longitude	Latitude
45	76.20116892	11.90683542
46	76.19859047	11.89450669
47	76.20149678	11.87922691
48	76.19239902	11.871071
49	76.18205473	11.87116601
50	76.17150407	11.87054735
51	76.1556785	11.86921112
52	76.13923707	11.86247401
53	76.1140029	11.85725614
54	76.11273399	11.88618797
55	76.11362208	11.93111633
56	76.11357759	11.97746996
57	76.09092641	11.96644533
58	76.065553	11.98506175
59	76.07267557	12.00116586
60	76.04387193	12.02813019
61	76.04010142	12.06398565
62	76.05675817	12.07184955
63	76.05030784	12.09853327
64	76.07877368	12.10274195
65	76.09455762	12.15654822
66	76.05789264	12.16313043
67	76.05207652	12.1772842
68	76.04512572	12.18725963
69	76.02897542	12.18296115
70	76.01042721	12.19078154
71	76.01786599	12.20413671
72	76.0018037	12.21053345
73	76.00396169	12.22276116

ANNEXURE-III

List of adjoining villages that are included in the Eco-sensitive Zone of Nagarahole Tiger Reserve

A. Kodagu District

Virajpet Taluk

Map id	Villages	Area in Ha.	Remarks
1	Kutta	374.634	Up to a distance of 1 Km from the boundary of the Nagarahole Tiger Reserve.
2	Badaga	783.008	
3	Nalkeri	118.851	
4	Kothur	497.838	
5	Kanur	407.544	
6	Nittur	1156.39	
7	Devanur	878.126	

Map id	Villages	Area in Ha.	Remarks
8	Balele	893.01	
9	Nokya	1009.087	
	Total	**6118.488**	

B. Mysore District

i. PeriyapatnaTaluk

Map id	Villages	Area in Ha.	Remarks
10	Malangi	443.02	Entire village
11	Alalur	274.91	Partial village
12	Muddanahalli	24.00	Partial village
13	Uthenahalli	700.96	Partial village
14	Panchavalli	455.21	Entire village
	Total	**1898.10**	

ii Hunsur Taluk

Map id	Villages	Area in Ha.	Remarks
15	Kademanuganahalli	762.96	Partial village
16	Uduvepur	422.92	Partial village
17	Neralakuppe	260.42	Entire village
18	Kallaboochahalli	258.48	Entire village
19	Settihalli	427.70	Entire village
20	Kachuvinahalli	178.35	Entire village
21	Habbanakuppe	272.34	Entire village
22	Billanahosahalli	83.86	Entire village
23	Konanahosahalli	181.47	Entire village
24	Kolavige	302.34	Entire village
25	Negathur	189.46	Entire village
26	Muduganur	180.42	Entire village
27	Chikka Hejjur	202.95	Entire village
28	Sindenahalli	177.71	Entire village
29	Abbur	289.32	Entire village
30	Hanagodu	514.94	Entire village
31	Kirangur	217.35	Entire village
32	Hindgodlu	221.09	Entire village
33	Dasanapura	253.83	Entire village
34	Doddahejjur kaval	53.64	Entire village
35	Doddahejjur kerekaval	46.59	Entire village
36	Dodda Hejjur	402.19	Entire village
37	Veeranahosahalli	129.69	Entire village
38	Bharathavadi	274.47	Entire village
39	Madahalli	367.55	Entire village
40	Haralahalli	312.84	Entire village

Map id	Villages	Area in Ha.	Remarks
41	Penjahalli kaval	464.88	Entire village
42	Kurubara Hosahalli	1084.26	Entire village
	Total	**8534.02**	

iii. Heggadadevanakote Taluk

Map id	Villages	Area in Ha.	Remarks
43	Bheemanahalli	842.56	Entire village
44	Rajegowdanahundi	331.95	Entire village
45	YelehundiKaval	131.54	Entire village
46	Somegowdanahundi	279.72	Entire village
47	Annur	392.65	Entire village
48	Hosahalli	282.94	Entire village
49	Nanjanaikanahalli	376.94	Entire village
50	Bommalapura	192.45	Entire village
51	Gowdimachanaikanahalli	174.55	Entire village
52	Sollepura	464.48	Entire village
53	Siddapura	353.22	Entire village
54	Agasanahundi	479.52	Entire village
55	Metikuppe	761.56	Entire village
56	Budanur	512.25	Entire village
57	Chakkodanahalli	359.71	Entire village
58	Sonahalli	265.14	Entire village
59	Dasanapur	134.51	Entire village
60	Akkadevanahalli	85.94	Entire village
61	Naganahalli	210.48	Entire village
62	Hirihalli	1150.90	Entire village
63	Machonaikanahalli	297.14	Entire village
64	Penjahalli/Kothnalli	465.44	Entire village
65	Satgehundi	368.14	Entire village
66	Hunsokuppe	231.08	Entire village
67	Antharasanthe	1019.67	Entire village
68	Antharasanthe Kaval	220.85	Entire village
69	Machare	158.19	Entire village
70	Honnurkuppe	86.28	Entire village
71	Badanekuppe	87.88	Entire village
72	Hosaholalu	31.91	Entire village
73	Sogehalli	53.54	Entire village
74	Manchagowdarahalli	474.17	Entire village
75	Ragatakuppe	251.63	Entire village
76	Halemagge	332.73	Entire village
77	N.Belathur	653.63	Entire village
78	Nisana	264.08	Entire village

Map id	Villages	Area in Ha.	Remarks
79	Karapura	101.57	Entire village
80	Hululipura	58.38	Entire village
81	Udboor	65.13	Entire village
82	Gundathur	104.22	Entire village
83	Machur	25.75	Entire village
84	Golur	14.61	Entire village
85	Hosur	26.40	Entire village
86	Netkalhundi	2.07	Entire village
87	Anemala	70.91	Entire village
88	Chikkabyranakuppe	4.92	Entire village
89	Doddabyranakuppe	10.40	Entire village
90	Thimmanahosalli	30.95	Entire village
91	Vadakinamala	8.38	Entire village
92	Kadegadde	48.37	Entire village
	Total	**13351.43**	

- The land use pattern in these villages are mainly Human and cattle dwelling units, schools, health centre, roads, lease lands, arable lands mainly under Agricultural and Horticultural crops.

ANNEXURE - IV

The list of the adjoining Reserve Forest Areas included in the Eco-sensitive Zone of Nagarahole Tiger Reserve

Sl. No	District	Name of the Forest	Administrative control	Area in Sq. Kms.	GO No. & Date
Part of the Notified Buffer Zone					
1.	Mysore	Doddaharave State Forest	Hunsur Forest Division	36.07	390-FT-145-95. dated 22-12-1900
2.	Mysore	Anechaukur State Forest	Hunsur Forest Division	36.76	1173-FT-145-95. dated 04-08-1900
3.	Mysore	Muddanahalli State Forest	Hunsur Forest Division	16.81	AF-6310-FT-62-403. dated 28-02-1941
4.	Mysore	Sollepura State Forest	Mysore Forest Division	49.97	No.A.F.2661.FT.192.415. dated 12-11-1942
5.	Mysore	Siddapura State Forest	Mysore Forest Division	14.50	G.691.5.Ft.359.28.2. dated 16-07-1929
6.	Kodagu	Maukal Reserved forest	Virajpet Forest Division	33.08	No. 58. dated 02-11-1891
7.	Kodagu	Devmachi Reserved Forest	Virajpet Forest Division	36.96	No. 65. dated 02-11-1891
			Total	**224.15**	
Adjacent Reserved Forest Area					
1	Kodagu	Maldare Reserved Forest	Madikeri Forest Division	45.71	No 55 dated 03-12-1891
			Grand Total	**269.86**	

Annexure V

Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- Proforma of Action Taken Report

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points: Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.28 12:31:36 +05'30'